चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे ‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 15.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को ‘‘मिशन शक्ति’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित ‘‘एंटी रोमियो स्क्वायड’’ टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 15.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह के पर्यवेक्षण में थाना रैपुरा एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा बकरी व भेड़ चोरी का खुलासा करते हुए 06 अभियुक्तों को 31 अदद बकरी,11 अदद भेड़ व घटना में प्रयुक्त इनोवा क्रिस्टा नं0 UP 70 DJ 8444, बोलेरो नं0 UP 70 CW 2114, गाड़ी अर्टिगा नं0 UP 70 HJ 4358, 01 अदद बन्दूक व 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 2640/- रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के नाम पता का विवरण-

1. मनोज कुमार पुत्र रामलाल निवासी बघवा थाना शंकरगढ जनपद प्रयागराज
2. चानस खां पुत्र आशिक निवासी सेमरा कस्बा बरगढ थाना बरगढ जनपद चित्रकूट
3. प्रमोद सिंह पुत्र शिवनरेश सिंह निवासी कन्दरा मुरका थाना बरगढ जनपद चित्रकूट
4. मो0 तालिब पुत्र रुवाब अली निवासी अशोक चौराहा के पास कस्बा व थाना बरगढ जनपद चित्रकूट
5. रज्जन पुत्र ननकू निवासी उसरी माफी थाना बरगढ जनपद चित्रकूट
6. शब्बीर पुत्र हल्के खान निवासी दुधवनिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 62/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना रैपुरा
2.मु0अ0सं0 59/25 धारा 331(4),305 बीएनएस थाना भरतकूप
3. मु0अ0सं0 61/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना पहाड़ी
4. मु0अ0स0 65/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रैपुरा

बरामदगी-

1. बकरी 31 अदद
2. भेड़ 11 अदद
3. बन्दूक 01 अदद व कारतूस 04 अदद जिन्दा 12 बोर
4. जामा तलाशी से 2640/- रूपये
5. इनोवा क्रिस्टा नं0 UP 70 DJ 8444 रंग कत्थई
6. बोलेरो नं0 UP 70 CW 2114 रंग सफेद
7. अर्टिगा नं0 UP 70 HJ 4358 रंग सफेद

फरार अभियुक्तों का विवरण-

1.बाबा पुत्र अज्ञात निवासी लखनपुर थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज
2.काऊ पुत्र अज्ञात निवासी मण्डी समिति के पास कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी का स्थान,दिनाँक व समयः-

अरवारा रोड बन्द पड़े गिट्टी के प्लाण्ट थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट दिनाँक 14.04.2025 समय 23.45 बजे

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 09.04.2025 को श्री लवलेश पुत्र काशी प्रसाद पटेल निवासी ग्राम देहरुछमाफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया कि 07.04.2025 को रात करीब 03.36 मिनट पर मेरे बकरी फार्म से दो अज्ञात व्यक्तियों ने 15 बकरिया चोरी कर ले गये इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु.अ.सं. 62/2025 धारा 303(2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक रैपुरा को चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

दिनाँक 14.04.2025 को उ0नि0 श्री रविकान्त राय मय हमराह के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल मुल्जिमान की पतारसी सुरागरसी करते हुए बोड़ी पोखरी चोराहे आये तो पूर्व से एसओजी टीम मौजूद मिली। मुखविर द्वारा सूचना दिया गया कि बकरी चोरी से सम्बन्धित अभियुक्त अरवारा रोड पर बन्द पड़े गिट्टी के प्लाण्ट के पास 03 चार पहिया वाहन खड़े है। इस सूचना पर विश्वास कर एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना रैपुरा पुलिस अरवारा मोड़ से गांव की ओर जाने वाली सड़क पर घेरा बन्दी कर तीनों गाड़ियों सहित 05 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। बारी बारी नाम पता पूंछने पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम 1. मनोज कुमार पुत्र रामलाल निवासी बघवा थाना शंकरगढ जनपद प्रयागराज जिसकी जामा तलाशी से 720/- रूपये, 2. चानस खां पुत्र आशिक निवासी सेमरा कस्बा बरगढ थाना बरगढ जनपद चित्रकूट बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो 01 अदद बन्दुक एक नाली व 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर,3. प्रमोद सिंह पुत्र शिवनरेश सिंह निवासी कन्दरा मुरका थाना बरगढ जनपद चित्रकूट की जामा तलाशी से 630/- रूपये, 4. मो0 तालिब पुत्र रुवाब अली निवासी अशोक चौराहा के पास कस्बा व थाना बरगढ जनपद चित्रकूट 330/- रूपये, 5. रज्जन पुत्र ननकू निवासी उसरी माफी थाना बरगढ जनपद चित्रकूट की जामा तलाशी से 420 रूपये, 6. शब्बीर पुत्र हल्के खान निवासी दुधवनिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के पास से कोई वस्तु बरामद नही हुई तथा घटना में प्रयुक्त इनोवा क्रिस्टा नं0 UP 70 DJ 8444 रंग कत्थई में 06 बकरियाँ, बोलेरो नं0 UP 70 CW 2114 रंग सफेद में 04 बकरियाँ, अर्टिगा कार नं0 UP 70 HJ 4358 रंग सफेद में 04 भेड़ बरामद हुई, अभियुक्तों के बताये हुए स्थान गिट्टी प्लाण्ट में खड़े कन्टेनर के पीछे से अभियुक्त शब्बीर पुत्र हल्के खान निवासी दुधवनिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के पास से 21 बकरियाँ व 07 भेड़ बरामद हुई तथा पकड़े गये अभियुक्तों से अंधेरे का लाभ उठाकर भागे दोनों अभियुक्तों के बारे में पूंछा गया तो एक का नाम 1.बाबा पुत्र अज्ञात निवासी लखनपुर थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज दूसरे का नाम 2.काऊ पुत्र अज्ञात निवासी मण्डी समिति के पास कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट बताये।
आरोपी अभियुक्तों से क्षेत्र में हुई अन्य चोरियों के सम्बन्ध में कड़ाई से पुंछताछ की गयी तो बताए कि ग्राम साईपुर क्षेत्र पहाड़ी से 11 भेड़ व 01 बकरियाँ, ग्राम रसिन थाना क्षेत्र भरतकूप से कुछ बकरियाँ व थाना रैपुरा क्षेत्र के देहरूछमाफी से 15 बकरियाँ चोरी किये थे। उक्त घटना के सम्बन्ध में क्रमशः थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 61/25 धारा 303(2) बीएनएस,थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 59/25 धारा 331(4),305 बीएनएस व थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 62/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है अभियुक्तों के कब्जे से माल बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी,घटना में प्रयुक्त वाहनों को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया। आरोपी अभियुक्त चानस खाँ पुत्र आशिक उपरोक्त के कब्जे से अवैध बन्दूक व कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 65/025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली स्वाट/सर्विलांस टीम का नाम-</u>

1. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी
2.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुशवाहा
3.मुख्य आरक्षी नितेश समाधिया
4. आरक्षी रोहित सिंह
5.आरक्षी आशीष कुमार,
6. आरक्षी गोलु भार्गव
7..आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
8.आरक्षी पवन राजपूत
9.आरक्षी राजवेन्द्र सिंह
10.आरक्षी रोशन सिंह

<u>गिरफ्तार करने वाली थाना रैपुरा पुलिस टीम का नाम-</u>

1.उ0नि0 श्री रविकान्त राय थाना
2.उ0नि0 श्री राजेश कुमार
3.उ0नि0 श्री जुबैर खान
4.मुख्य आरक्षी अब्दुल समीर
5.आरक्षी शिवम मिश्रा
6.आरक्षी बब्बू राजा
7.आरक्षी चालक धर्मेन्द्र सिंह

(4).आज दिनाँक 15.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना/चौकियों से आये बीट अधिकारियों को बीट प्रणाली के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा बीट प्रणाली को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन के पैरा -63 के अनुसार कानून व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस हल्कों एवं बीट व्यवस्था में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया तथा बीट अधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार जैसे ग्राम प्रहरियों का दायित्व,सी-प्लान एप का उपयोग,बीट क्षेत्र में लाइसेन्स धारकों,पासपोर्ट धारकों,सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम बीट बुक में दर्शाने,थाने पर प्राप्त सभी प्रकार के बीट सम्मन,नोटिस,वारण्ट,प्रार्थना पत्र जांच,चरित्र सत्यापन,विवेचना सम्बन्धित पासपोर्ट,तामिला एवं अन्य बीट कार्य के सम्बन्ध में पूंछा गया तथा विस्तृत रूप से बताया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती प्रियंका पत्नी राज बाबू निवासी ऊंचाडीह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति राज बाबू निवासी ललक निवासी औदहा थाना मर्का जनपद बांदा द्वारा प्रार्थिया को गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा करने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवाग्नी श्रीवास्तव,महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा न करने,पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-
1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी
2.महिला आरक्षी शिवाग्नी श्रीवास्तव
3. महिला आरक्षी मंजूलता पाल